

जज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
हडाताराम पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल, निवासी लीकड़ी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		धन्नाराम पुत्र संतोकाराम जाति मेघवाल, निवासी लीकड़ी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (29)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (53, 188)

मुकदमा नम्बर 146/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

24.07.2025

वादी/प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बालाराम गोदार ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 40, 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 18.08.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

18.08.25

पत्रावली पेशा वारी बगीह उपास्थित।
पत्रावली प्रतिवादीगण के तामिली हेतु
दिनांक 15.09.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

15.09.25

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 4.11.25 को पेश हो।

04.11.25

पत्रावली पेशा वारी बगीह उपास्थित।
पत्रावली प्रतिवादीगण के तामिली हेतु
दिनांक 3.12.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अध.
हुक्म
में जाय

संवाग

[Handwritten signature]

03.12.25

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इस्तेवबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 08.12.25 को पेश हो।

08.12.25

पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित।
प्रतिवादी पक्ष से प्रतिवादीगण की तमिनी
हेतु दिनांक 16.12.25 को पेश हो।

अ.
प्रतिवादी
[Signature]

सहायक कलक्टर
शिव (वाडमेर)

16.12.25

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इस्तेवबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 18.12.25 को पेश हो।

ह्यूजे गाराम

18.12.25

पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित।
वादी व प्रतिवादी संख्या 3 उपस्थित।
अधिवक्ता अलगपक्ष रहे। हाथ प्रतिवादी
संख्या 1 की ओर से अकालतनामा व
प्रकारान्त में राखीनामा होने पर पत्रावली
जोले विद्दे करने का प्रार्थना पत्र पेश
किया गया। अलगपक्ष अधिवक्ता एवं उपस्थित
प्रकारान्त हाथ पत्रावली में राखीनामा होने
तक अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहने पर
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली
जोले विद्दे खारिज करने का निर्देश
किया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर इन्हें पत्रावली इसी स्टेज पर जोले
विद्दे खारिज की जाती हैं।

ह्यूजे गाराम

पत्रावली राखिल इन्तार हो।

सहायक कलक्टर
शिव (वाडमेर)